राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1452/2023

हरिचन्द प्रजापति **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
3. निदेशक परियोजना, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सर्वापाली राधाकृष्ण शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग राजस्थान जयपुर। **–प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.05.2023
आदेश की दिनांक : 30.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक (प्रधानाचार्य) के पद पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है, को अपास्त फरमाया जावे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कथन है कि के अपीलार्थी स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है, और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 16.06.2020 जारी की गई। जो उप निदेशक, सहायक निदेशक के पद हेतु प्रकाशित की गई। अपीलार्थी ने उक्त भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और उसे उप निदेशक के पद पर दिनांक 01.07.2020 को चयनित किया गया। अपीलार्थी को उप निदेशक के पद पर दिनांक 28.07.2020 को नियुक्त किया गया। अपीलार्थी के साथ 8 अन्य प्रधानाचार्य भी चयनित किये गये प्रारंभिक नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की गई और बाद में सेवा नियम के नियम 144ए के तहत 4 वर्ष के लिये और बढा दी गई। अपीलार्थी दिनांक 30.07.2023 के लिये नियुक्त किया गया उनका कथन है कि प्रतिनियुक्ति दो तरह की होती है। पहली चयन द्वारा और दूसरी स्थानान्तरण

द्वारा वर्तमान मामले में अपीलार्थी चयन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है। अशोक कुमार रातिलाल पटेल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2012 वॉल्यूम 7 एसएससीपी 757 एवं माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे कई मामले में शशि सिंह आदि में ऐसे प्रतिनियुक्ति पदस्थापनाओं को जो चयन के आधार पर नियुक्त किया गया है, उन्हें अवधि पूर्ण होने से पूर्व नहीं हठाया जा सकता परन्तु अपीलार्थी को अवधि पूर्ण होने से पहले ही स्थानान्तरित कर दिया गया। जो विधि विरूद्व है। आलोच्य आदेश असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये है। जो अवैध है। अतः अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2023 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर उप निदेशक के पद पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा सभी वेतन लाभ दिये जाने के आदेश फरमाये जावे।

2. हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

3. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर उप निदेशक (प्रधानाचार्य) के पद पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को उसके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया गया है। जहां तक चयन प्रक्रिया के तहत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों को निश्चित अवधि से पूर्व नहीं हटाया जाने का प्रश्न हैं, हमारे विनम्र मत में यदि किसी कार्मिक की सेवाऐं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर संबंधित विभाग सेवा नियमों के तहत संबंधित कार्मिक को उसके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त कर सकता है। इसी प्रकार आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त ही अपीलार्थी को उसके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया गया है, नियोक्ता को यह पूर्ण अधिकार है कि कार्मिक की सेवाऐं जनहित/छात्रहित में कब और कहां लेनी है। इस प्रकार उक्त आलोच्य आदेश नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई नियम विरूद्वता परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राहयता के प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य